संख्या-193/2019/3671/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त 2019

विषय: **अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के लिये रोजगार सृजन प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा पेयजल आवास निर्माण सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण आदि की व्यवस्था करते हुये उनके सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1011/स0क0/विकास/ एकीकृत-(90) विविध-।।/2019-20, दिनांक-20.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के लिये रोजगार सृजन प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण आदि की व्यवस्था करते हुये उनके सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्न बिन्दुओं पर मार्ग-दर्शन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- शासनादेश संख्या-177/2019/2545/26-3-2019-06(विविध) /2018 दिनांक-24.07.2019 के प्रस्तर-2(1) में वर्णित समिति में सदस्य के रूप में वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण द्वारा नामित वरिष्ठ लेखाधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित जनपद में तैनात वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

2- शासनादेश दिनांक-24.07.2019 के अन्तर्गत द्वितीय किश्त आवंटित किये जाने सम्बन्धी जिन प्रकरणों में जिनमें कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक-24.07.2019 के पूर्व शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराया गया हो उन प्रकरणों पर निदेशालय द्वारा ही द्वितीय किश्त का आवंटन कार्यदायी संस्था को किया जायेगा। शासनादेश दिनांक-24.07.2019 के निर्गत होने के पश्चात निदेशालय को उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में धनराशि आवंटन पर विचार शासनादेश के बिन्दु-2(1) में उल्लिखित समिति के भौतिक सत्यापनोंपरांत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक-24.07.2019 के पूर्व उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्रों में जिन प्रकरणों में आवंटन कार्यदायी संस्थाओं को हुआ है, उन प्रकरणों में उपभोग प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा एवं जिन प्रकरणों में धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से व्यय की गयी है, उनमें उपभोग प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। शासनादेश दिनांक-24.07.2019 के निर्गत होने के पश्चात समस्त उपभोग प्रमाण पत्रों पर जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था शासनादेश के बिन्दु-2(।।) के अनुसार लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in